न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0पी0 वाद सं०–13/2012–13

आफताब आलम
बनाम्
राज्य एंव अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
29.08.2018	**आदेश** यह रिभीजन वाद अपर मुख्य सचिव–सह–खान आयुक्त, झारखण्ड, रांची के न्यायालय के रिभीजन वाद सं0–181/2012 मो0 आफताब आलम बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.12.2012 को पारित आदेश के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। वर्णित मामला मो0 आफताब आलम द्वारा महेशपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–बलियापतरा के दाग नं०–724/पी0, रकवा–5.00 एकड़ भूखण्ड पर दिनांक 17.09.2011 से 02.06.2020 तक के लिए हस्तानान्तरण से प्राप्त पत्थर खनन पट्टा को तत्कालीन उपायुक्त, पाकुड़ के आदेश दिनांक 08.08.2012 से खनन पट्टा को शेष अवधि के लिए परिसमाप्त किये जाने के संबंध में खान आयुक्त–सह–अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची के न्यायालय में दायर पुनरीक्षण वाद सं0–181/12 में दिनांक 22.12.2012 को पारित आदेश से उद्भूत है। उपरोक्त वर्णित पुनरीक्षण वाद सं0–181/12 में खान आयुक्त द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस किया गया, के क्रम में इस न्यायालय द्वारा इस रिभीजन वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। इस संबंध में रिभीजनकर्त्ता पर यह आरोप है कि उनके द्वारा खनन पट्टा को हस्तानान्तरण से प्राप्त करने के समय सत्य को छुपाते हुए अपने आवेदन में यह अंकित किया था कि उनके द्वारा कोई खनन पट्टा धारित नहीं किया जाता है तथा उनके जिम्मे कोई खनन बकाया नहीं है। तत्संबंधी शपथ पत्र दिया गया था एवं उसी के आधार पर हस्तानान्तरण आवेदन का निस्तार किया गया। कालान्तरण में उनके विरूद्ध यह आरोप लगा कि आवेदक मेसर्स आलम एण्ड कंम्पनी के पार्टनर है एवं बिहार राज्य में इनके द्वारा खनन पट्टा धारित है। प्राप्त परिवाद में उल्लेखित बिन्दुओं की जांचकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला विधि	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	शाखा, पाकुड़ के ज्ञापांक–13/डी0वी0, दिनांक 12.02.2018 एवं स्मार ज्ञापांक 39/डी0वी0, दिनांक 31.03.2018 से जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार को निदेशित किया गया। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर पत्रांक 45/डी0वी0, दिनांक 13.04.2018 एवं अर्द्धसरकारी पत्रांक 180/विधि, दिनांक 25.06.2018 से जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार के पत्रांक 442/एम, दिनांक 09.07.2018 से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जो अभिलेख पर उपलब्ध है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि मो0 अफ़ताव आलम के नाम से जिला खनन कार्यालय, मुंगेर में खनन पट्टा का लीज चलाया गया था। उनके कार्यालय के पत्रांक 666 दिनांक 03.12.2012 एवं पत्रांक 667 दिनांक 03.12.2012 से निर्गत पुनर्गणना के अनुरूप यथा अनुमान्य सम्पूर्ण बकाया राशि जो अवैध प्रेषण के मद में था, दो अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पूर्व पट्टेधारी आफताब आलम से जमा करवा लिया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खनन पट्टा को हस्तानान्तरण से प्राप्त करते वक्त रिभीजनकर्त्ता बिहार राज्य में आलम एण्ड कं0 में एक पार्टनर थे, जिसे उन्होंने शपथ पत्र में छुपाकर विषयांकित पत्थर खनन पट्टा का हस्तानान्तरण सें प्राप्त किया था। हस्तानान्तरण की तिथि को वे बकायेदार भी थे, जिस तथ्य को उन्होंने छुपाया। इतना ही नहीं हस्तानान्तरण आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में इन्होंने गलत उल्लेख किया था कि इनके नाम किसी प्रकार का खनन पट्टा धारित नहीं है और न ही खनन बकाया है। खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार के पत्रांक 442/एम0, दिनांक 09.07.2018 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र असत्य, भ्रामक एवं तथ्यहीन पाया गया। इन सबके अलावे प्राप्त परिवाद की जांच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ से कराने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पत्रांक 1775/वि0, दिनांक 23.07.2012 से प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक प्लॉट परती कदीम है, जिसमें स्थानीय आदिवासी अपने शवों को वहीं मिट्टी दिया करते हैं। खनन से ठीक सटे हुए ग्रामीण सड़क है। सहायक खनन पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा	

Scanned with CamScanner

की कम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

प्रतिवेदित किया गया है कि रिभीजनकर्त्ता का उक्त कृत्य संविद पट्टा के भाग–VII (2) एवं पट्टा संविद के भाग VII (2) (क) के साथ–साथ लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 का नियम 48(2) का उल्लंघन करने वाला है।

उक्त तथ्यों पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खनन पट्टा परिसमाप्ति आदेश दिनांक 08.08.2012 में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप उक्त आदेश को upheld किया जाता है।

इस आदेश से सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित किया जाय। तदनुसार इस वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
पाकुड

उपायुक्त,
पाकुड

119/D.B
15/9/18

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.11 17:20:07 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner